SESSION
2018-2019

ANTI RAGGING

ANTI RAGGING COMMITTEE

ANTI RAGGING TOLL FREE HELPLINE No. (1800-180-6020)

UGC Anti Ragging

Free Helpline	1800-180-5522
E-mail	helpline@antiragging.net
Address	Ed,CIL(INDIA) limited,Ed.CIL House,184,Sector-16A,Noida-201 301,U.P.

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
ANTI RAGGING CELL

FAQ's

S. No.	Question	UGC Reply
1.	What is ragging?	1. Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or a junior student. 2. Indulging in a rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or Psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student. 3. Asking the students to do any act or perform something which such student will not o in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or Psyche of a fresher or a junior student.
2.	Why would anyone indulge in ragging?	1. To derive a sadistic pleasure 2. To show off power, authority or superiority over juniors or freshers.
3.	Is some form of ragging good?	No. Ragging, in any form, is a reprehensible act of does no good to anyone. Every act of ragging, major or minor, is beyond the limits of decency, morality and humanity. Civilised societies across the world are doing away with this nefarious practice. Some states in India have done the same. Madhya Pradesh will do it this year.
4.	Why does ragging still exist?	1. Earlier, public opinion against ragging was not as strong as it is now. 2. It was not clearly defined what ragging is. 3. Earlier, the concern was limited to violent form of ragging and other forms

		were considered tolerable, even desirable. This is not the case now.
5.	What is 'Zero tolerance" policy?	No act of ragging, major or minor, shall go unnoticed. No ragger, male or female, student or non-student, shall go unpunished. No institution that fails to take action against ragging shall be allowed to operate.
6.	Who will implement this policy? everyone concerned, specially:	1. The heads of the educational institutions. 2. The State Government, through Divisional Commissioners. 3. The opinion makers.
7.	How can we exterminate this evil practice?	By exercise of the disciplinary authority of the teachers over the students and of the management of the institutions over the teachers an students. No effort should be made to minimize the number of 'reported cases'. Reporting is to be encouraged through all available means. Anti-ragging movement should be initiated by the institutions right from the time of advertisement for admissions. The prospectus, the form for admission and /or any other literature issued to the aspirants for admission must clearly mention that ragging is banned in the institution and anyone indulging in ragging is likely to received deterrent punishment.
8.	Whether despite all efforts of the Government, complaints in regard to ragging are still being received from schools and colleges.	No. Ragging cases are not increasing in the Country. In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009), the University Grants Commission framed "UGC Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009" which were notified on 17th June, 2009 and are to be mandatorily followed by all universities and colleges. The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. From time to time UGC has sent the Circulars to the Universities and Colleges for curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions. UGC also

		publish the Public Notice in the leading newspapers in this regard at the beginning of academic session.
9.	The action taken by the Government against the schools and colleges from where complaints in regard to ragging have been received and the details of such colleges during the said period; and	UGC is taking actions as per the UGC Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009. Details of the action taken against the complaints is also available at the website www.antiragging.in & www.amanmovement.org The UGC has accorded top most priority to curtail the menace of ragging in Institution of higher education. The following measures have been undertaken by the UGC:- a. A nationwide 24X7X365 toll free anti-ragging helpline. b. UGC has constituted Coordination Committee and Inter Council Committee for affective measures of anti-ragging in Higher Educational institutions. c. UGC regulations on curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions, 2009. d. UGC (Promotion of equity), Regulations, 2012. e. Circulars and public notices have been issued to stop the ragging in the institutions of Higher Education. The Higher Education institutions have been requested to organize debates etc. for ragging control. UGC has notified the UGC Anti Ragging Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009. The Commission has made it mandatory for all institutions to incorporate in their prospectus the directions of the Government regarding prohibition and consequences of ragging. A nationwide toll free 24x7 anti ragging helpline **1800-180-5522** in 12 languages has been

		established which can be accessed by students in distress owing to ragging related incidents. UGC has also developed the Anti Ragging Mobile Application for filing the complaint on ragging, filing the affidavit and for calling the Toll Free Anti Ragging Helpline Number and same may be downloaded from **Google Play Store.** UGC has developed the Anti Ragging website i.e. www.antiragging.in. The portal contained record of registered complaints received and the status of the action taken thereon. Secretary, UGC sends the circular twice a year regarding strict compliance of UGC Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions. Detail may please be seen at UGC website: www.ugc.ac.in From time to time the UGC has also issue Public Notice in leading national newspapers to make awareness about the ragging.
10.	University Grants Commission has amended its anti ragging regulations to include physical or mental abuse on ground of ethnicity, caste, religion, colour, regional background, linguistic identity, national and sexual orientation.	The 3rd Amendment of UGC Regulations on "Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2016 according to this: **3(j) Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (Fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background.**
11.	Number of case registered to UGC anti ragging helpline male and female state wise information from last five years.	List of the registered cases may please be seen at Monitoring agency website:amanmovement.org

ANTI-RAGGING AND STUDENT WELFARE COMMITTEE

As per the directives of Hon'ble Supreme Court dated 16 May 2007, an Anti-Ragging Cell is running in our college. The Institution receives the ragging information through complaint box, personal information and by the CCTV cameras that are installed in the college. In case any student is found indulged in ragging activities he/she would be rusticated from the college. An FIR would be lodged in Police Station and the management would be free to take action against them. The primary objective of this committee is to address and effectively solve various student related matters. In fact, this committee is a bridge between students and authorities. The committee has to maintain a balance between student's demands/problems and feasibility of solution provided by authorities. **SDJASM** believes that Discipline is the bridge between goals and accomplishment and self-discipline is one of the key ingredients of success in life. So we try to imbibe the feeling of accountability into the students by showcasing that they are responsible in all ways for upholding the reputation of the Institute through their actions.

Besides this, the cell has been constituted to develop unity and integrity among students. As students belong to different states, cultures and religions, their unity and brotherhood is a must. The members of the committee are:

1.Mr.KrishnaDevShukl (Convener).
2.Dr.LalitKishoreSharma (Member).
3. Mr. Satish Kumar Jain (Member).

Anti Ragging and Student Welfare Committee का गठन सत्र 2016-17 में हुआ किन्तु यह पूर्णरूप सक्रिय सत्र 2017-18 में हुयी। यद्यपि महाविद्यालय में महाविद्यालय स्थापना से ही छात्रों को पढ़ने हेतु सत्रारम्भ में पुस्तकें प्रदान की जाती है। तथा छात्र वर्षभर पढ़कर सत्रांत में पुस्तकालय में जमा करवाते हैं। जिसे आज बुकबैंक के नाम से जाना जाता है। अर्थात् बुकबैंक हमारे महाविद्यालय में स्थापना से ही सक्रिय है। बुक बैंक में लगभग 6 से 8 हजार के बीच किताबें हैं जो प्रतिवर्ष छात्रों को अध्ययनार्थ दी जाती हैं तथा सत्रांत में वापस ली जाती हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर फीस माफ तथा छात्रवृत्ति इत्यादि के रूप में छात्रों की सहायता की जाती है।

छात्रों में अनुत्पीड़न की स्थिति बनी रहे। कोई भी छात्र उत्पीड़ित न हो एतदर्थ परिसर में सूचनाएँ तथा टोल फ्री नं. इत्यादि चस्पा किए गये हैं। परिसर सी.सी.टी.वी. कैमरा से युक्त है इत्यादि से छात्रों पर दृष्टि रखी है।

इस Committee का अन्तिम उद्देश्य यही है छात्रों में सद्भाव स्थापित रहे तथा छात्रों का सर्वविध कल्याण सुनिश्चित हो।

आज दिनांक 5/7/2018 को मीटिंग आयोजित की गयी जिसके विचारार्थ निम्न बिन्दु रहे →

1. बुक बैंक में नयी पुस्तकों की आवश्यकता।
2. कैमरे का लगना।
3. हेल्पलाइन नं० को बोर्ड पर चस्पा करवाना।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार किया गया तथा सभी को क्रियान्वित करने हेतु प्राचार्य जी को अवगत कराया गया तथा कार्यवाही की गयी।

उपस्थिति →

1. कृष्णदेव शुक्ल [signature] 5.7.18
2. डॉ ललित किशोर शर्मा [signature] 5/7/2018
3. श्रीमती गुन्जा पाटनी [signature] 5.7.18

[signature]

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-29 (राज.)

AMAN MOVEMENT

It is named after Aman Satya Kachroo, a 19 year old medical student, who died in 2009 because of ragging. The Movement has since developed into a research facility for improved management of Social Security programs of governments of India.

Anti Ragging Helpline

1800-180-5522 OR 155222

Email: helpline@antiragging.in

Reports

Check Complaint Status

Compulsory
Complaince

Update College
Contact Data

WE WORK TO ERADICATE RAGGING FROM INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN INDIA.

From 2012 we work in partnership with University Grants Commission of India and the Union Ministry of Human Resources of India to implement the National Ragging Prevention program. Together we have reduced ragging in India significantly. Confidential surveys show a drop in Ragging from 12% in 2013 to 5% in 2016.

THE RAGGING PROGRAM

INNOVATION IN GOVERNANCE

Our Philosophy: Partnership

Most Non Governmental Organisations (NGO's) work independent of governments. Many work as rubber stamp consultants for governments. Many work as contractors of governments. Aman Movement works in partnership with governments. Aman Movement believes NGO's should not relieve a government of its responsibility on social sector obligations. NGO's should help governments to deliver through improved research & management solutions. Aman Movement researches a problem and then develops a solution for the problem. Then campaigns for acceptance of the solution and finally works in partnership with a government to implement the solution.

आज दिनाँक 6/8/2018 को Anti Raging से सम्बद्ध मीटिंग की जिसमें Aman movement विजन की जानकारी देकर Anti Raging के विरुद्ध online form के विषय को छात्रों को सूचित करने हेतु विचार किया गया।

कुलदेव शुक्ल
संयोजक

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-25 (राज.)

Member

सभी एंटी रैगिंग के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनाँक 5.2.2019 को 11:00 बजे समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित है आप सभी उपस्थित होने का कष्ट करें।

5.2.2019
कुलदेव शुक्ल
(संयोजक)

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-25 (राज.)

आज दिनाँक 5.2.2019 को एंटी रैगिंग की मीटिंग आयोजित हुयी तथा निर्णय लिया गया कि छात्रों को रैगिंग से बचने के लिए सतर्क किया जाय तथा तत्सम्बंधी सूचनाओं से सभी छात्रों को जागरूक किया जाय।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

1. कृष्णदेव शुक्ल (signature) 5.2.2019
2. Gunja Patni 5-2-19.

आज दिनाँक 18.3.2019 को समिति के सभी सदस्यों से चर्चा की गयी। सभी के साथ विचार विमर्श किये जाने से यह ज्ञात हुआ कि इस सत्र में कोई भी एंटी रैगिंग सम्बन्धी समस्या प्राप्त नहीं हुयी।

1. डॉ. कृष्णदेव शुक्ल (signature) 18.3.2019
2. Gunja Patni 18.3.19

(signature)
प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय

SESSION

2019-2020

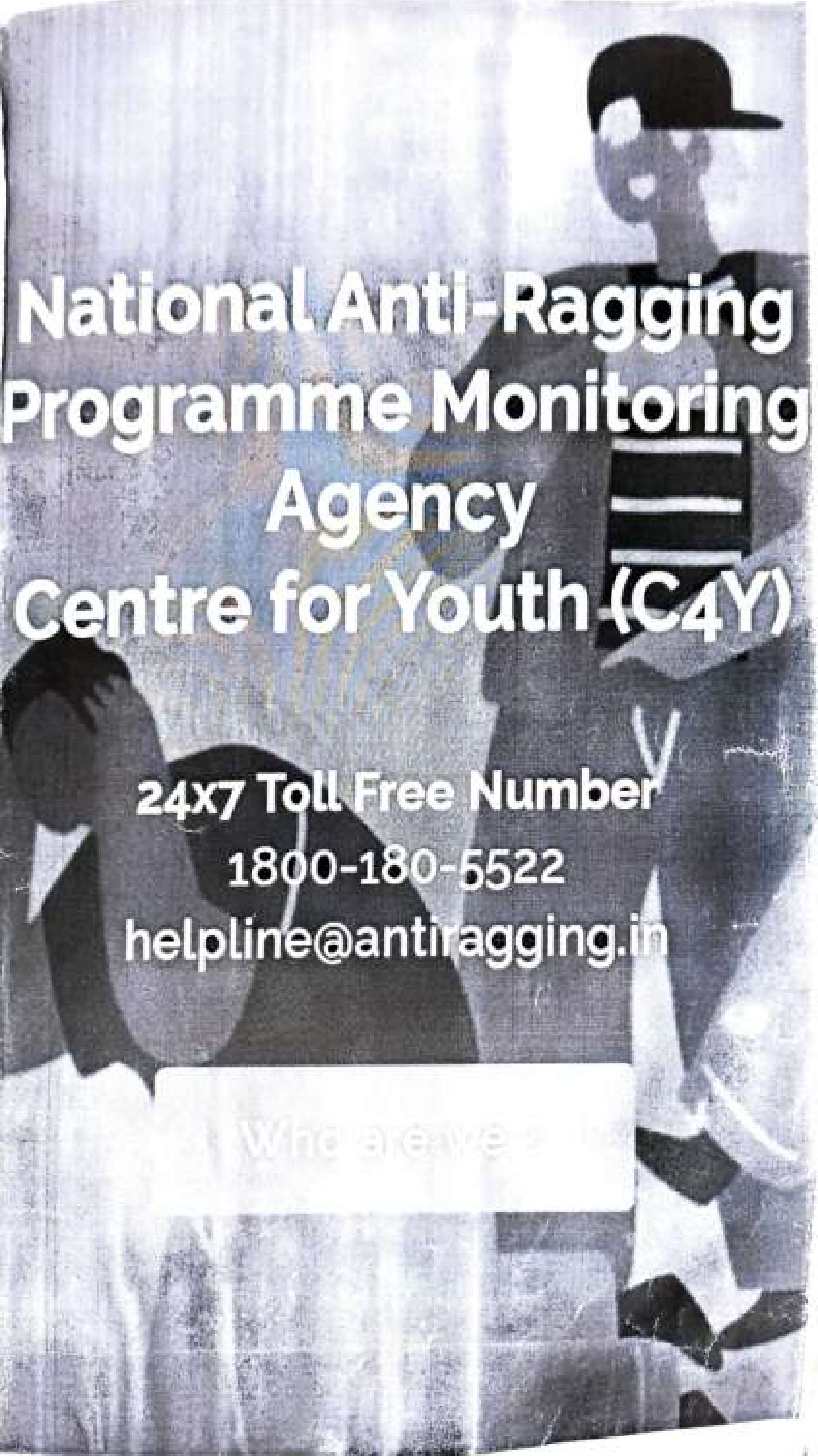
National Anti-Ragging
Programme Monitoring
Agency
Centre for Youth (C4Y)
24x7 Toll Free Number
1800-180-5522
helpline@antiragging.in
Who are we

छात्र अधिकार संबंधी दिशानिर्देश

विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रशासकों एवं संस्थानों को छात्रों के न्यूनतम अधिकारों की जानकारी प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा दिशानिर्देश, जारी किये गये हैं। ये दिशानिर्देश, देश में विद्यमान समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों (उच्च शिक्षा के प्रत्येक संस्थान को इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत निरपवाद रूप से सम्मिलित माना जाएगा, चाहे उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के रूप में न जाना जाता हो)। प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय वर्तमान दिशानिर्देशों को अपनी विवरणिका में अधिदेशात्मक रूप से पूर्णतः प्रकाशित करेगा, साथ ही अपनी वेबसाइट के होमपेज पर भी दर्शायेगा।

इन अधिकारों के पूर्णरूपेण अनुपालन का दायित्व शैक्षिक संस्थानों, प्रशासकों, नीतिनिर्माताओं, अध्यापकों एवं स्वयं छात्रों पर भी होगा। इनके गैर अनुपालन की स्थिति में, कोई भी छात्र जन शिकायत निवारण प्राधिकरण या लोकपाल से संपर्क कर सकता है। इन दिशानिर्देशों का गंभीर रूप से निरंतर उल्लंघन करने पर इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संज्ञान में लाया जा सकता है तथा जिसके आधार पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इनमें से कुछ प्रावधान, पहले से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विधियों या नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत आवृत्त हैं। तथापि, छात्रों को उन मौजूदा विधियों, नियमों एवं विनियमों का लाभ उठाने का अधिकार होगा, चाहे उन्हें इन दिशानिर्देशों में न भी दर्शाया गया हो।

1. दाखिला

1.1 किसी भी पाठ्यक्रम हेतु की गई घोषणा या विज्ञापन में अनिवार्य एवं स्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट किया जाए कि प्रदान की जाने वाली डिग्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबद्ध सांविधिक प्राधिकरणों (यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 22 C के अंतर्गत यूजीसी वेबसाइट पर अद्यतन सूची अनुसार) द्वारा अधिसूचित है या नहीं तथा डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों की सूची में मौजूद है या नहीं।

1.2 दाखिले का इच्छुक छात्र, एक दस्तावेज (सामान्यतः विवरणिका के नाम से चिह्नित) प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिसके अंतर्गत वह- पाठ्यक्रम, जिसमें पाठ्यचर्या, संकाय सदस्यों के नाम एवं अकादमिक वृत्त एवं स्तर, कार्यविधि एवं मूल्यांकन की आवृत्ति, पाठ्यक्रम की अवधि, अकादमिक कैलेंडर तथा शुल्क या किसी भी प्रकार के अधिभार एवं प्रतिपूर्ति संबंधी

विस्तृत सूचना सम्मिलित होगी। विवरणिका में दी गई सूचना में किये जाने वाले परिवर्तन के कारण, अध्ययन पाठ्यक्रम के दौरान, छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े तथा किसी भी परिवर्तन को आवश्यक समझे जाने पर उसे व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र को संप्रेषित किया जाना चाहिए, साथ ही, ऐसे परिवर्तन के कारणों से भी उसे अवगत कराया जाना चाहिए।

1.3 इस विवरणिका में, दाखिला संबंधी वास्तविक प्रक्रिया एवं मानदण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इसमें गत अकादमिक निष्पादन, प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार का महत्व समाविष्ट रहता है। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यविवरण एवं प्रारूप स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा प्राप्तांकों एवं समस्त घटकों सहित सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची को सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य है।

1.4 दाखिला पाने के लिए किसी भी वर्ग के आरक्षण या कोटा संबंधी सूचना, पात्रता मानदण्ड संबंधी प्रमाणपत्र का विवरणिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.5 ऐसे दस्तावेज, जिनका संकेत विवरणिका में नहीं दिया गया है, उन्हें छात्रों द्वारा प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि संस्थान, छात्र द्वारा सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज (जैसे विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र, अंक तालिका, जाति–प्रमाणपत्र इत्यादि) प्रस्तुत करने का आग्रह कर सकता है, तथापि वह संस्थान, छात्रों के किन्हीं मूल दस्तावेजों को अपने पास नहीं रोक सकता। [मि. सं. 1–3/2007 (CPP–II) (दिनाँक: 2 अप्रैल, 2007, यूजीसी द्वारा अधिसूचित)]

2. अध्ययन एवं अध्यापन में गुणवत्ता

2.1 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रों को अभिकेन्द्रित पर्यावरण सुलभ कराये जाने का दायित्व महाविद्यालय/विश्वविद्यालय पर होगा जो छात्रों के अध्ययन कौशल को विकसित करने के अनुरूप होगा। संस्थान द्वारा मंजूरीकृत भाषा में सभी छात्रों को शिक्षा अथवा परीक्षा संबंधी समस्त अनुदेश एवं पठनसामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा।

2.2 ऐसे छात्र, जो शैक्षिक माध्यम में अपना कार्य किसी सामाजिक बाधा या शिक्षा के माध्यम में किये गये किसी परिवर्तन प्रतिबंध के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वे इस अंतराल की पूर्ति करने के लिए विशेष सहायता पाने के हकदार होंगे।

2.3 छात्र, योग्यताप्राप्त अध्यापकों की उपलब्धता एवं उनकी उपस्थिति, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अध्यापन दिवस एवं संपर्क घंटे तथा नियत समय पर पाठ्यक्रम से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के अधिकारी हैं) [अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता संबंधी यूजीसी विनियम, 2010]

2.4 छात्र, समुचित सुविधाओं, सेवाओं एवं संसाधनों के हकदार होंगे, जिनमें पुस्तकालय (पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों, पत्रिकाओं, ई–रिसोर्सेज के संग्रह सहित) प्रयोगशालाएँ, अनुमत शिक्षा एवं परीक्षा के माध्यम की भाषाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

2.5 छात्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समय पर मूल्यांकन, उत्तर–पुस्तिकाओं की पुनःजाँच एवं पुनर्मूल्यांकन एवं मूल्यांकन पद्धति संबंधी किसी भी शिकायत निवारण के हकदार होंगे। परिणामों की घोषणा के पश्चात वे अपनी उत्तर–पुस्तिकाओं की एक प्रति पाने के भी हकदार होंगे।

2.6 जैसा कि विवरणिका के अकादमिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट है, छात्र, परीक्षाओं के समय पर संचालन एवं परिणामों की घोषणा के हकदार होंगे। परिणामों की घोषणा के 180 दिन के भीतर वे डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

2.7 छात्र, अध्यापन, छात्र सेवाओं एवं संस्थानात्मक अवसंरचना की गुणवत्ता से संबद्ध नियमित प्रतिपुष्टि के हकदार होंगे। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्राप्ति के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा तथा छात्रों की प्रतिपुष्टि के आधार पर समीक्षा एवं सुधार के प्रयास करेगा।

3. शुल्क एवं वित्तीय सहायता

3.1 छात्रों को शुल्क राशि, घटकों, फ्रीक्वेंसी, किसी भी प्रकार के भुगतान की प्रविधि जिसमें शुल्क अथवा किसी भी अन्य प्रकार के अधिभार सम्मिलित हैं एवं प्रतिपूर्ति नियमों के संबंध मे पहले से ही संपूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई छात्र, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व अपना नाम वापस ले लेता है तो उसे शुल्क की समस्त राशि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए जिसमें से अधिकतम रू. 1000/– की, कटौती की जा सकती है। (मि. सं. 1–3/2007 (CPP–II) दिनांक: 23 अप्रैल, 2007 को यूजीसी द्वारा अधिसूचित)

3.2 प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को अपना अधिकतम प्रयास यह सुनिश्चित करने की दिशा में करना होगा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के

है।

अभाव के कारण कोई भी छात्र गुणवत्तायुक्त शिक्षा के अवसरों से वंचित न रह जाए। नीतिनिर्माताओं का यह दायित्व है कि इस सिद्धांत के क्रियान्वयन हेतु यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त निधियन विद्यमान है। विवरणिका में छात्रों को उपलब्ध छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति/किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता से संबद्ध योजना की समेकित सूचना सम्मिलित की जा सकती है। यह विवरणिका इस प्रकार की योजनाओं को छात्रों के संज्ञान में लाने एवं सुलभ बनाने में सहायक होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी है।

4. अवसंरचना

4.1 छात्र, उपयुक्त संसाधनों के हकदार होंगे, जैसे कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ एवं अन्य अकादमिक सुविधाएँ सुलभता से प्राप्त कर सकेंगे जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक हैं (यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 12 (बी) के अंतर्गत अनुदान हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की उपयुक्तता हेतु नियम एवं विनियम, निजी विश्वविद्यालय विनियम, मानित विश्वविद्यालय विनियम संबंधी यूजीसी नियम एवं विनियम)

4.2 छात्र, खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधाएँ प्राप्त करने, साहित्यिक एवं सुरूचिपूर्ण अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का अनुसरण करने के हकदार होंगे।

4.3 छात्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, मुफ्त एवं आवधिक स्वास्थ्य जाँच तथा चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति में उपचार/अस्पताल में इलाज के हकदार होंगे।

4.4 छात्र, ऐसे पर्याप्त, स्वच्छ एवं साफ-सुथरे आवासीय छात्रावास, आवास के हकदार होंगे जिनमें मनोरंजन सुविधाओं सहित अन्य मूलभूत सुविधाएँ भी होंगी। ऐसे आवासीय स्थल को छात्रों की पहुँच के भीतर रखा जाना चाहिए तथा संस्थान द्वारा इसका उपयोग आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों के उपयोग के लिए नियत आवासों का संस्थान द्वारा अन्य किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

4.5 ऐसे छात्र, जो शारीरिक विकलाँग है वे बिना किसी भेदभाव के समस्त योजनाओं, सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, एक ऐसे प्रशिक्षण आधारित पाठ्यचर्या का

सार्वभौमिक प्रारूप बनाने का प्रयास करेंगे जिसके द्वारा विस्तृत रूप से समस्त छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उनकी बाधाएँ न्यून होंगी तथा वे अधिकतम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, अबाधित संपर्क, विशेष पुस्तकालय संसाधन (ब्रेल एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संसाधन सहित) इंगित भाषा (साइन लैंग्वेज) के दुभाषिये/प्रतिलिपिक हेतु प्रावधान, आवश्यक उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक संसाधन एवं अपंग छात्रों को परीक्षा में आवश्यक छूट के हकदार होंगे। शारीरिक विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) यूजीसी अर्धशासी मि.सं. 6–1/2006 (सी.पी.पी–II), मि.सं. 6–1/2012 (एस.सी.टी),

5. संस्थागत प्रकार्यात्मकता के प्रत्येक दृष्टिकोण से छात्र भेदभाव मुक्त व्यवहार के हकदार होंगे (अर्थात उत्पीड़न शोषण एवं बहिष्करण से रहित वातावरण) जाति, लिंग, वर्ण, रंग प्रजाति, धर्म, जन्मस्थान, राजनीतिक मान्यता, भाषा, एवं अपंगता पर आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रतिबंधित होगा।

5.1 सभी संस्थान विशेष रूप से उन छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे जो अजा, अजजा, से संबद्व हैं एव किसी भी क्षेत्र या प्रजाति समूह के छात्रों का रंग भेद के आधार पर पृथक रूप से वर्गीकरण नहीं करेगे। [उच्च शैक्षिक संस्थानों में समानता की प्रोन्नति) यूजीसी विनियम, 2012]

5.2 लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण का छात्रों को अधिकार है तथा लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्व वे लैंगिक संवेदीकरण समितियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश एवं नियम निर्धारित किये हैं [विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (JT1997 (7) SC 384)]

5.3 सभी छात्रों को किसी भी रूप में रैगिंग से संरक्षण पाने का अधिकार है। [रैगिंग के जोखिम का निराकरण) यूजीसी अधिनियम, 2009]

6. प्रजातांत्रिक नागरिक होने के नाते समस्त छात्रों को अपने संस्थानों के भीतर एवं बाहर अपने विचारों एवं अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को विचारधाराओं एवं सार्वजनिक विचारविमर्श के लिए मुक्त व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि एक आलोचनात्मक तार्किकता एवं जानने की संस्कृति को पोषित किया जा सके। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को ऐसी गोष्ठियाँ/व्याख्यान एवं वाद–विवाद के आयोजन पर कोई अनुपयुक्त, पक्षपातपूर्ण अथवा स्वेच्छापूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिऐं, बशर्ते वे किसी का भी उल्लंघन न करते हों।

7. छात्रों को ऐसी सभाओं एवं संघनिर्माण, छात्रसंघों में अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चयन करने का, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के निर्णय लेने वाले निकायों, जिनमें आंतरिक गुणवत्ता आकलन एवं शिकायत समितियाँ सम्मिलित हैं तथा लैंगिक शोषण के विरूद्ध लैंगिक संवेदनशील समितियाँ एवं अकादमिक/कार्यकारी परिषद सहित अपने प्रतिनिधियों को स्थापित करने का अधिकार है। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रों पर प्रभाव डालने वाले किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व छात्रों के प्रतिनिधियों से पर्याप्त परामर्श हेतु तंत्रों का सृजन करेगा।

8. छात्र, जिस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत हैं अथवा अध्ययन करना चाहते हैं, उस संस्थान के संबंध में सम्पूर्ण एवं सही सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट एवं विवरणिका में निम्न सूचना को दर्शायेगाः संस्थान स्तर, इसकी सहसंबद्धता, प्रत्यायन दर, भौतिक परिसम्पत्तियाँ एवं सुखसाधन, शासी निकायों की सदस्यता एवं उनकी आय के स्रोत एवं वित्तीय स्थिति, अकादमिक/कार्यकारी परिषदों के सदृश निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त एवं इसके प्रकार्यों के संबंध में ऐसी कोई भी मनचाही सूचना जो किसी भी छात्र के लिए अनिवार्य है। (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुच्छेद 4 (1)

9. छात्र, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 10 दिन के भीतर शिकायत निवारण समिति द्वारा अपनी शिकायत का निवारण कराने के हकदार होंगे। इससे संतुष्ट न होने की स्थिति में, निवारण हेतु संबद्ध विश्वविद्यालय में नियुक्त लोकपाल के समक्ष अपनी अपील 30 दिन के भीतर दायर करने के हकदार होंगे। [यूजीसी (शिकायत निवारण) विनियम, 2012]

10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन दिशानिर्देशों के समुचित क्रियान्वयन हेतु अनुदेश जारी करे।

Ragging does not break the ice. It
breaks lives, careers and families.
SAY NO TO
RAGGING

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ |
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ||
Fight for the sake of duty, treating alike happiness
and distress, loss and gain, victory and defeat.
ulfilling your responsibility in this way, you will never incur sin.

सूचना।

सभी एंटीरैगिंग के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनाँक 23/7/19 को 2.30 बजे समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित है। आप सभी सदस्यगण उपस्थित होने का कष्ट करें।

विनय कुमार जैन
संयोजक

आज दिनाँक 23/07/19 को एंटी रैगिंग की मीटिंग आयोजित की गई तथा निर्णय लिया गया कि छात्रों को रैगिंग से बचने के लिए सतर्क किया जाए। रैगिंग सम्बन्धी सूचनाओं से सभी छात्रों को जागरूक किया जाए।

निम्नलिखित सदस्य मीटिंग में उपस्थित रहे -

1. विनय कुमार जैन (संयोजक)
2. डा. ललित कुमार शर्मा
3. डा. हितेन्द्र
4. श्री कृष्णदेव शुक्ल
5. श्रीमती गुन्जा पाठनी

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आदर्श संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियाँ ...

सूचना।

सभी एंटीरैगिंग सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 5/03/2020 को 11:30 बजे समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित है। सभी सदस्य उपस्थित होने का कष्ट करें।

विनय कुमार जैन
(संयोजक)

आज दिनांक 5/03/2020 को एंटीरैगिंग समिति के सभी सदस्यों के साथ चर्चा की गई। सभी सदस्यों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किए जाने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि इस सत्र में एंटीरैगिंग से सम्बन्धित कोई भी समस्या प्राप्त नहीं हुई है।

निम्नलिखित सदस्य मीटिंग में उपस्थित रहे।

(1) विनय कुमार जैन (संयोजक)
(2) डा. ललित किशोर शर्मा
(3) श्रीमति गुन्जा पाटनी
(4) श्री सतीश जैन

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियाँ रोड, [illegible] जयपुर-29 (राज.)

SESSION

2020-2021

किन कृत्यों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है?

रैगिंग किसी भी निम्नलिखित कृत्यों में से एक या एक से अधिक का गठन है:

a) कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित या जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता या कोई गलत हरकत का प्रभाव पड़ता हो, चाहे फिर वो कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।

b) कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है या उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका तत्संबंधी पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता।

c) किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने को कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो।

d) एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र के नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य।

e) एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण।

f) कोई भी ऐसी हरकत जो वरिष्ट छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या सशक्त खर्च बोझ का कोई भी भार डाले।

g) शारीरिक शोषण के सभी प्रकार: यौन शोषण का कोई भी अधिनियम, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा मजबूर व्यक्ति को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण।

h) कोई भी हरकत, बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व् पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना।

i) कोई भी कार्य जो कि एक नवसिखुआया या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, कोई भी छात्र किसी भी नवसिखुआ या किसी अन्य छात्र पर कामुक प्राप्त करने के लिए खुशी, बंद शक्ति या श्रेष्ठता का अधिकार दिखा रहा हो।

मुझे कहाँ से मदद मिल सकती है?

1. हम नहीं चाहते कि आपको लगे कि आप अकेले हैं और आपकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता। हम सब आप के साथ हैं।

2. आपके माता पिता आपकी मदद करने के लिए हैं। कृपया ऐसा मत सोचिये कि आप अपने माता पिता पर बोझ हैं। अगर आपकी रैगिंग हो रही हैं तो उनसे स्वतंत्र रूप से खुलकर बात करो, वह आपकी बात जरूर समझेगे।

3. हम रैगिंग की रोकथाम के कार्यक्रम में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमें कभी भी किसी भी समय 1800 180 5522 नम्बर पर फ़ोन कर सकते हैं। यह एक नि:शुल्क फोन है। आप हमे helpline@antiragging.in पर एक ई मेल भी भेज सकते हैं।

4. आपका कॉलेज प्रशासन आपकी मदद करने के लिए है - कृपया मदद के लिए पूछने में संकोच नहीं करे। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी आपकी मदद करने के लिए है।

5. कोई भी किसी भी रैगिंग की घटना की शिकायत कर सकता हैं। यह जरुरी नहीं है की केवल शिकार ही शिकायत कर सकता है। अगर आप कोई भी रैगिंग की घटना देखे तो उसकी सूचना कॉल सेंटर को करें। ऐसा करना आपका कर्तव्य हैं।

6. आप भी रैगिंग की शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं - बिना नाम बताऐ। आपको इस विकल्प से बचना चाहिए क्योंकी विवरण जाने बिना हमें किसी भी तरह की कार्रवाई करने में मुश्किल हो जाती हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका विवरण गोपनीय रखा जायेगा।

7. अपनी शिकायत की जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं एंटी रैगिंग पोर्टल: www.antiragging.in और हमारी साईट www.amanmovement.org पर भी जा सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का सारांश

उच्च शिक्षण संस्थानों, में रैगिंग की बुराई के खिलाफ, 2009

1. प्रस्तावना: माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर दिनांक 8.05.2009 और केन्द्र के निर्धारण के विचार में सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने और रैगिंग का संकट खत्म करने के निर्देश जारी किये गए है।

2. उद्देश्य: विश्वविद्यालयों से अपने सभी रूपों में रैगिंग खत्म करने, देश में जितने भी विश्वविधालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन्हें इन विनियमों के तहत रैगिंग की हर तरह की, घटनायो को रोकने का जोर लगाना होगा और जो रैगिंग में भाग लेगा उसे रैगिंग के विनियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

3. किन कृत्यों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है: रैगिंग किसी भी निम्नलिखित कृत्यों में से, एक या एक से अधिक का गठन है:
   a. कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित या जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता या कोई गलत हरकत का प्रभाव पड़ता हो, चाहे फिर वो कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।
   b. कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है या उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका तत्संबंधी पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता।
   c. किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने को कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो।
   d. एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र के नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य।
   e. एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण।
   f. कोई भी ऐसी हरकत जो वरिष्ट छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या सशक्त खर्च बोझ का कोई भी भार डाले।

g. शारीरिक शोषण के सभी प्रकार: यौन शोषण का कोई भी अधिनियम, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा मजबूर व्यक्ति को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण।

h. कोई भी हरकत, बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व् पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना।

i. कोई भी कार्य जो कि एक नवसिखुआया या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, कोई भी छात्र, किसी भी नवसिखुआ या किसी अन्य छात्र पर कामुक प्राप्त करने के लिए खुशी, बंद शक्ति या श्रेष्ठता का अधिकार दिखा रहा हो।

4. रैगिंग के प्रतिबंध के उपाय: संस्था स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, जिला स्तर आदि पर ढेरो ऐसे उपाय हैं ।कुछ ऐसे उपाय भी है जो कि छात्रों के लिए जानना महत्वपूर्ण हैं:

- कोई भी संस्थान किसी भी रूप में रैगिंग की रिपोर्ट की घटना को नज़र अंदाज़ नहीं करेगा, और सभी संस्थाओं को सभी आवश्यक उपायों के प्रावधानों तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन विनियमों, द्वारा रैगिंग को नष्ट करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है चाहे फिर वो संस्था के भीतर हो या बाहर।
- सभी संस्थानों को इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई करनी है, किसी को भी रैगिंग करने / या उकसाने का दोषी पाया जाता है, उन लोगों के खिलाफ सक्रिय रूप से रैगिंग को बढ़ावा देने या एक साजिश का हिस्सा बने हो जो की रैगिंग को बढ़ावा देते हो।
- किसी भी संस्था द्वारा हर सार्वजनिक घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आडियोविसुअल या प्रिंट या किसी भी अन्य मीडिया द्वारा, अध्ययन के किसी भी कोर्स में, संस्था में रैगिंग पूरी तरह से निषिद्ध है, और किसी को भी रैगिंग का दोषी सक्रिय या निष्क्रिय रूप से पाया, या एक हिस्सा होने के नाते रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश करने के लिए इन विनियमों के अनुसार दंडित किया जा सकता है।
- एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के टेलीफोन नंबर, सभी संस्था में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों सहित, सीमित संस्था के प्रमुख, संकाय सदस्यों, विरोधी रैगिंग समितियों के सदस्यों और एंटी रैगिंग दस्तो,जिला और उप-संभागीय अधिकारियों, हॉस्टलों के वार्डनों, और अन्य पदाधिकारियों या संबंधित अधिकारियों की विवरणिका, प्रवेश / अनुदेश पुस्तिका या सूचीपत्र में प्रकाशित किया जायेंगे।

- प्रवेश, नामांकन या पंजीकरण के आवेदन के समय छात्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक निर्धारित प्रारूप में एंटी रैगिंग शपथ पत्र और एक और एंटी रैगिंग शपथ पत्र जनक / गार्जियन द्वारा हस्ताक्षर करवा कर जमा कराना अनिवार्य है। इन दोनों शपथ पत्र को वेब से डाउनलोड किया जा सकता है ।
- एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर कोई संकट संदेश प्राप्त होगा तो वो साथ ही संस्थान के प्रमुख, हॉस्टल वार्डन, सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को भी प्राप्त होगा, अगर घटना एक संस्था में घटी हो और उस संस्था का संबद्ध विश्वविद्यालय से हो तो संबंधित जिला अधिकारियों और अगर जरूरी हुआ तो,जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक,को भी वेब सक्षम बनाना होगा जिससे की सार्वजनिक रूप में भी सब एक साथ मीडिया और नागरिकों तक पहुँच सके।
- एंटी रैगिंग दस्ते की सिफारिश प्राप्त होने पर या किसी भी रिपोर्ट की घटना के विषय में किसी भी रैगिंग की जानकारी की प्राप्ति , संस्था के प्रमुख को तुरंत निर्धारित करेगा यह मामला दंडात्मक कानून के तहत आता है और यदि हां, तो या तो अपने दम पर या एंटी रैगिंग द्वारा अधिकृत समिति के एक सदस्य के माध्यम से इस संबंध में, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना है, ऐसी जानकारी या सिफारिश की प्राप्ति के चौबीस घंटे, भीतर पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ, तहत प्रावधानों के अनुसार उचित दंड देना होगा।
- एक आयोग उपयुक्त डाटाबेस बनाए रखने के लिए निर्मित किया जाएगा, जो की प्रत्येक छात्र अपने शपथ- पत्र द्वारा उसकी पुष्टि करेगा,उसकी / उसके माता - पिता / अभिभावकों और संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संग्रहित या किसी एजेंसी के माध्यम द्वारा निर्मित किया है और ऐसा डाटाबेस रैगिंग की प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति में रिकार्ड के रूप में भी कार्य करेगा।
- आयोग उपयोगिता में एक विशेष स्थिति भी शामिल होगी, किसी भी वित्तीय सहायता या अनुदान सहायता के संबंध में, कोई प्रमाण पत्र, किसी भी सामान्य या विशेष योजनाओं के तहत संस्था आयोग विरोधी रैगिंग कि संस्था के उपायों के साथ ही पालन किया है।
- एक संस्था में रैगिंग की कोई घटना से उसकी मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा या किसी अन्य अधिकृत मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा, रैंकिंग/ ग्रेडिंग प्रमाण देने के लिए संस्था का आकलन करना।
- आयोग वित्तीय उन संस्थानों को अनुदान सहायता देने में प्राथमिकता दे सकता है,अन्यथा खंड के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के पात्र अधिनियम की 12B, जो

वहाँ के मामले की एक दाग रहित रिपोर्ट प्रदान करेगा जिसमें कोई भी रैगिंग की घटना की सूचना न हो।

5. रैगिंग की घटना में प्रशासनिक कार्रवाई: रैगिंग का दोषी पाने पर संस्था छात्र को निर्धारित तरीके से और नीचे दिए गयी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सज़ा देगा।

- एक उपयुक्त संस्था की एंटी रैगिंग समिति दंड के संबंध में या अन्यथा तथ्यों के आधार पर प्रत्येक घटना की प्रकृति या गंभीरता या रैगिंग विरोधी दस्ते की सिफारिशों में स्थापित किया गया ,के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
- एंटी रैगिंग समिति, प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण के अपराध का दोषी के आधार पर एंटी रैगिंग दस्ते का पुरस्कार , एक या एक से अधिक; निम्नलिखित दंड पर निर्भर करता है.
  - a) वर्गों और शैक्षिक विशेषाधिकारों में भाग लेने से सस्पेंशन.
  - b) छात्रवृत्ति / रोकना, वापिस /फेलोशिप और अन्यलाभ.
  - c) किसी भी परीक्षा / परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रदर्शित होने से रोकना
  - d) परीक्षा के परिणामो को रोक लेना
  - e) किसी भी संस्था का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, टूर्नामेंट, युवा त्योहार, आदि में प्रतिनिधित्व करने से रोकना
  - f) छात्रावास से सस्पेंशन / निष्कासन
  - g) किसी भी संस्था में प्रवेश रद्द
  - h) एक से लेकर चार समेस्टर की अवधि के लिए संस्था से निष्कासन
  - i) संस्था से निष्कासन और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्था में प्रवेश बंद

- जहाँ पर किसी व्यक्ति को रैगिंग करने और उकसाने का कार्य नहीं पहचान में आ रहा हो तो सामूहिक सजा का सहारा लेना होगा।

- एंटी रैगिंग समिति द्वारा सजा के आदेश के खिलाफ अपील: (i) एक संस्था के एक आदेश के मामले में जिसका संबद्धया एक विश्वविद्यालय के संघटक भाग से हो, कुलपति, विश्वविद्यालय से करेगा। (ii) विश्वविद्यालय के एक आदेश के मामले में, अपने चांसलर से। (iii) राष्ट्रीय महत्व के एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई एक संस्था के मामले में या संस्था के अध्यक्ष और चांसलर के लिए संसद में मामले के रूप में हो सकता है।

- नियुक्ति प्राधिकारी की राय में संस्था के दोषपूर्ण स्टाफ का कोई भी सदस्य रिपोर्टिंग या शीघ्र कार्रवाई करने में या रैगिंग की घटना को रोकने तथा शिकायतों की ओर एक उदासीन या असंवेदनशील का रवैया प्रदर्शित करे और रैगिंग को रोकने के लिए समय पर कदम उठाने में विफल हो ऐसे अधिकारियो के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्था की निर्धारित प्रक्रिया के साथ आरंभ होगी जिस संस्था में दोषपूर्ण स्टाफ है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। संस्था के प्रमुख सत्ता द्वारा नामित प्रमुख नियुक्त ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और ऐसी कार्रवाई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जा सकती है कि किसी भी कार्रवाई को समय पर करने की विफलता के लिए, रैगिंग के अपराध को उकसाने के लिए दंड कानून के तहत रैगिंग या किसी भी छात्र को दंडित करने के तरीके की रोकथाम में दोषी पाया जाना।

SAY NO TO RAGGING

Download ANTI RAGGING App

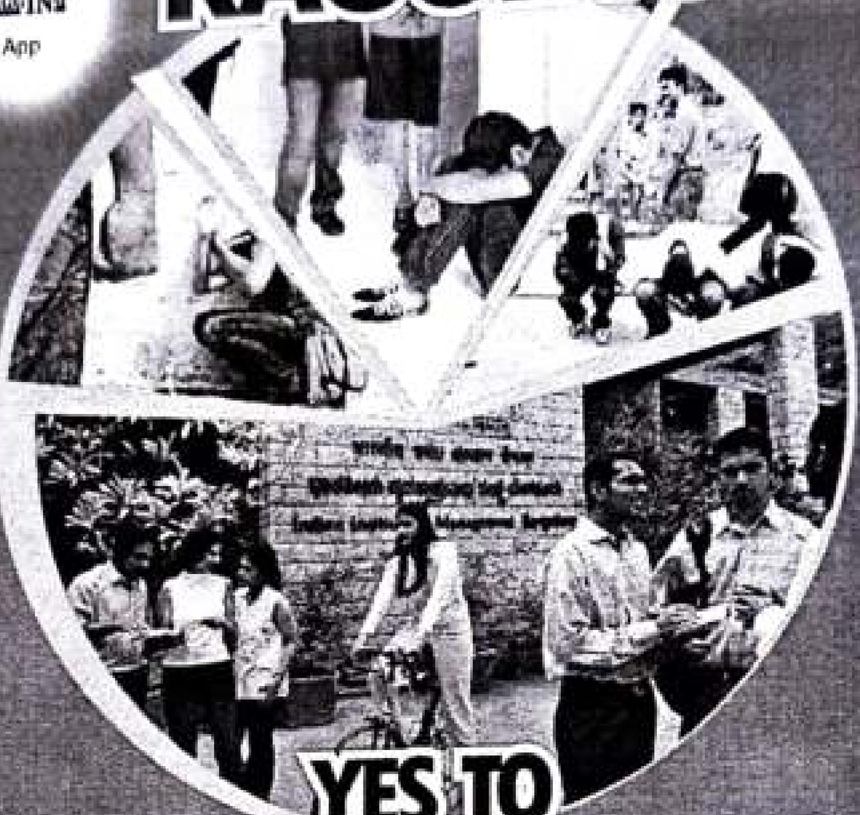

YES TO JOYFULCAMPUS

What is Ragging?

Any Act Resulting in:

- Mental/physical/sexual Abuse
- Verbal Abuse
- Indecent Behaviour
- Criminal Intimidation/wrongful Restraint
- Undermining Human Dignity
- Financial Exploitation/extortion
- Use Of Force

A STUDENT INDULGING IN RAGGING CAN BE:

- Cancellation of admission.
- Suspension from attending classes.
- Withholding/withdrawing Scholarship/Fellowship and other benefits.
- Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
- Withholding results.
- Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament or youth festival etc.
- Collective punishment : when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on potential ragger.

Immediately call
UGC Anti-Ragging Helpline
1800-180-5522 (24X7 toll free)
or send an e-mail to helpline@antiragging.in

MHRD | DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

Foolishly I ragged
& got suspended
Will I get
prosecuted?
What about my
Job prospects?
SAY NO TO RAGGING
Download
ANTI RAGGING
App
MY FUTURE IS A BIG
?
Remember RAGGING is for LOSERS
Visit UGC Website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging regulations.
Are You Being Ragged ?
Immediately call UGC Anti Ragging Helpline- 1800-180-5522 (24x7 Toll Free)
Or Send an E-mail to helpline@antiragging.in
MHRD
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

Anti Ragging Helpline

1800-180-5522 OR 15522

Email: helpline@antiragging.in

सभी एंटी रैगिंग के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कल दिनाँक 10.07.2020 को महाविद्यालय के समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित है। आप सभी उपस्थित होने का कष्ट करें।

09.07.2020

विनय कुमार जैन
(संयोजक)

आज दिनाँक 10.07.2020 को महाविद्यालय में सभा आयोजित की गई। एंटी रैगिंग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर गहनता से विचार-विमर्श किये जाने के पश्चात सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि छात्रों को रैगिंग से बचाने के लिए सतर्क किया जाए तथा रैगिंग सम्बन्धी सूचनाओं से छात्रों को अवगत करवा के जागरूक किया जाए।

1. विनय कुमार जैन (संयोजक)
2. डा. ललित किशोर शर्मा
3. डॉ. [illegible]
4. श्रीमती गुन्जा पाठनी
5. कुलदीप शुक्ला
6. श्री सतीश कुमार जैन

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य ...

कोरोना वाइरस महामारी के कारण दिनाँक 18.7.20 से 30.9.20 तक महाविद्यालय की सभी कक्षाएं आनलाइन संचालित की गई।

एंटी रैगिंग के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनाँक 26.03.21 को समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित है। आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित है।

विनय कुमार जैन
(संयोजक)

आज दिनाँक 26.03.21 को समिति के सभी सदस्यों के साथ चर्चा की गई। सभी के साथ विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि इस सत्र में कोई भी एंटी रैगिंग सम्बन्धी समस्या प्राप्त नहीं हुई।

1. विनय कुमार जैन (संयोजक)
2. डॉ. हितेन्द्र
3. कृष्णदेव शुक्ल
4. श्रीमती गुन्जा पाटनी
5. श्री सतीश कुमार जैन

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जयपुर-29 (राज.)

SESSION

2021-2022

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सारांश 8 मई 2009 को दिया गया

1. माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी राघवन समिति द्वारा सिफारिशे की गयी है उन्हें तुरंत लागू किया जाये, सफरिशे नीचे दी गयी है:
   - विश्वास बहाली के उपायो जैसे सलाहकारो की नियुक्ति, जूनियर्स के आने के एक सप्ताह या दो सप्ताह के बाद वरिष्ठ छात्रों का आगमन, संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम, जूनियर्स और वरिष्ठ छात्रों के लिए संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम जिसको प्रधानाचार्य /संस्था प्रमुख द्वारा संबोधित किया जायेगा| संगठन बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक, खेल और अन्य गतिविधियाओ का आयोजन करना ,संकाय सदस्यों का छात्रावास छात्रों के साथ भोजन का प्रावधान उनके संबंधित हॉस्टल में ही करना इत्यादि।
   - हर संस्था में एक एंटी रैगिंग समिति और एक एंटी रैगिंग दस्ता होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर रैगिंग के लिये एक निगरानी कक्ष होना चाहिए और उसे अपने अंतर्गत आने वाले कॉलेजों और संस्थानों के साथ समन्वय बना कर रखना चाहिए| राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के स्तर पर भी एक निगरानी प्रकोष्ठ होना चाहिए।
   - निजी वाणिज्यिक प्रबंधित की बढ़ती संख्या के प्रकाश में, जो आवास और हॉस्टल संस्था के परिसर के बाहर हैं, ऐसे हॉस्टल और प्रबंधन को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए, और इस तरह के हॉस्टल को शुरू करने की अनुमति स्थानीय पुलिस से लेना अनिवार्य होने के साथ पंजीकृत हॉस्टल या उन्हें रजिस्टर करने की लिए जरूरी है की प्रमुख शैक्षिक संस्थानों द्वारा भी सिफारिश की जाये| दोनों स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लिए और संस्थागत अधिकारियों के लिए भी अनिवार्य है की रैगिंग की परिभाषा में आने वाली सुनिश्चित घटनाओं की अच्छी तरह से जांच हो सके।
   - वार्डनों को सभी घंटे में सुलभ होना चाहिए है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वे, टेलीफोन और संचार के अन्य साधनों पर भी उपलब्ध हो| इसी प्रकार, अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के टेलीफोन नंबर संस्थानों के प्रमुखों, संकाय सदस्यों, एंटी - रैगिंग के सदस्यों, समितियों, जिला और उप - मंडल के अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों , जहाँ भी प्रासंगिक हो. जरूरतमंद लोगों के लिए व्यापक रूप से या आपात स्थिति में मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए।
   - ब्रोशर या पुस्तिका / पत्रक / जिसमे रोकथाम और निवारण की विधियों का खाका होगा, प्रत्येक शैक्षिक सत्र की शुरुआत में प्रत्येक छात्र के लिए वितरित करना और वचन लेना कि वे रैगिंग में शामिल या रैगिंग में उकसाने वाले किसी भी तरह के कोई भी कार्य में भाग नहीं लेंगे।

- शैक्षिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक छात्रावास में एक पूर्ण कालिक वार्डन होना चाहिए जो छात्रावास के भीतर रहता हो या कम से कम छात्रावास के आसपास रहता हो।

2. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि मानव का मंत्रालय संसाधन विकास, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ परामर्श में, यूजीसी, एमसीआई, एआईसीटीई और अन्य इसी तरह की नियामक संघटन, डॉ. राज कचरू के सुझाव के अनुसार एक केंद्रीय संकट हॉटलाइन और विरोधी रैगिंग डेटाबेस की स्थापना करने की प्रक्रिया में लगे हुआ थे। माननीय अदालत ने हालांकि कहा कि:
    - डेटाबेस की निगरानी का कार्य एक गैर सरकारी एजेंसी को दिया गया, जिसे जनता में विश्वास पैदा करने के लिए तुरंत भारत संघ द्वारा नामांकित किया गया और जो गैर अनुपालन की जानकारी नियामक निकायों और राघवन समिति को प्रदान करेगा।
    - छात्र और उसकी / उसके माता - पिता / संरक्षक, द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक शपथपत्र संग्रहीत किया है जिसमे की हर एक छात्र का विवरण है, डेटाबेस इन्ही शपथ पत्र के आधार पर बनाया जायेगा।
    - डेटाबेस एक रिकॉर्ड की तरह कार्य करेगा जिसमे रैगिंग की शिकायतों को प्राप्त किया जायेगा और उन पर कार्रवाई की जानकारी भी दी जाएगी।

3. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रैगिंग के खतरे को रोकने का विनियम होना चाहिए, यूजीसी को सभी नियामक निकायो जैसे की आईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, एनसीआई आदि के द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

4. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि कचरू की मौत से जुड़े मामले से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि तैयार किये गए निर्देश और नियम पर्याप्त नहीं थे। इसलिए, माननीय अदालत ने आदेश दिया कि इस तरह के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाये और जो संस्थानों के प्रशासन के प्रमुखों रैगिंग की रोकथाम में समय पर कदम नहीं लेते हैं और रैगिंग करने वाले को सजा नहीं देते उन्हें दंडित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी, इस दंड परिणाम के अलावा, विभागीय जांच में भी इस तरह की संस्थाओं के सदस्यों के खिलाफ, प्रशासन / संकाय सदस्यों / गैर शिक्षण स्टाफ, जो रैगिंग की शिकायतों के प्रति उदासीन या असंवेदनशील रवैया प्रदर्शित करते है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

5. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल छात्र, बल्कि शिक्षण स्टाफ को भी रैगिंग की बीमारियाँ और उसकी रोकथाम के प्रति अवगत होना चाहिए। गैर शिक्षण स्टाफ, जिसमें प्रशासनिक कर्मचारियों अनुबंध कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड, आदि को भी नियमित रूप से रैगिंग की बुराइयों और परिणाम, से अवगत होना चाहिए।

6. माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रिंसिपल या संस्था / विभाग का प्रमुख हर कर्मचारी से एक उपक्रम प्राप्त करेगा, संस्था के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के सदस्यों, संविदा श्रम या तो कैंटीन चलाने के लिए या किसी रूप में परिसर में कार्यरत, वार्ड स्टाफ , सफाई या इमारतों / लॉन रख रखाव आदि के लिए | वह तुरंत रैगिंग की किसी भी मामले में जो करने के लिए आता है रिपोर्ट होगा उसका / उसकी सूचना. जारी करने के लिए सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान किया जाएगा की जो कर्मचारी रैगिंग की रिपोर्ट देंगे ऐसे सदस्यों को उनके सर्विस रिकार्ड के रूप में प्रणाम पत्र मिलेगा।

7. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक था कि खुद के माता - पिता / संरक्षक संस्थान के प्रमुख रैगिंग की किसी भी उदाहरण की तुरंत सूचना देना अपनी जिम्मेदारी माने।

8. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएचओ /वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनके क्षेत्राधिकार में एक विशेष महाविद्यालय आता है रैगिंग से संबंधित कॉलेज के परिसर में कोई किसी भी तरह की घटना उत्तरदायी लेना होगा और प्रभावी ढंग से रैगिंग की घटनाओं से निपटने के लिए, भी तैयार रहना होगा। एक बार केंद्रीय हॉटलाइन / डेटाबेस संकट में पड़े छात्रों की मदद के लिए ऑपरेटिव हो जाता है तो एसएचओ / वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के,जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर एक विशेष रूप से कॉलेज जाता है, जल्द ही एसएचओ /वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रभावी ढंग से घटना के साथ न्याय करेंगे.और संकट हॉटलाइन कर्मचारियों और / या संवाद स्वतंत्र निगरानी एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे| जससे लोगों में विश्वास जाग्रत हो और वे, भय या देरी के बिना रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट करे।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हॉटलाइन डेटाबेस / संकट सहकारी चालू हो जाये, तो राज्य सरकारों को उनके विरोधी रैगिंग विधियों में संशोधन करना होगा और प्रावधान है कि संस्थागत पर दंडात्मक परिणाम भी शामिल हैं।

Anti Ragging Helpline

1800-180-5522 OR 15522

Email: helpline@antiragging.in

रैगिंग की रोकथाम

रै गिं ग	
	• पढ़े-लिखे समाज में कुप्रथा है।
	• सभ्य समाज का अमानवीय कृत्य है।
	• गैर-कानूनी होने से दण्डनीय अपराध है।
	• रोकने की जवाबदेही शिक्षण संस्थानों की है।

हम नहीं करेंगे, हम नहीं देखेंगे ।
जहाँ भी हो यह अपराध, हम अवश्य रोकेंगे ।।

रैगिंग समाप्त करने के कुछ उपाय

1. विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक से शपथ पत्र भरवाना।
2. विश्वविद्यालय परिसर में छात्र/छात्रा व अभिभावक के अतिरिक्त गैर छात्रों के प्रवेश प्रतिबंधित करना।
3. शिकायत पेटी द्वारा पीडित छात्रों से सूचना प्राप्त करना।
4. प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय में हर समय पहचान पत्र स्थायी अभिलेख के रुप में रखने की अनिवार्यता।
5. रैगिंग करने वाले दोषी छात्र को संस्था तथा छात्रावास से निष्कासित करना।
6. रैगिंग के दोषी छात्रों को खेल स्पर्धा, युवा महोत्सव, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से वंचित करना।
7. रैगिंग यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र की ली गई है तो अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग के दोषी छात्र के विरुद्ध सख्त दण्डानात्मक कार्यवाही करना।
8. अभद्र कार्य, गाली देना, अभद्र संगीत धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता साधारण चोटें पहुंचाना/मारपीट करना 323, 324, 325, 326, विधि विरुद्व परिरोध 341, 342, 343, 344, 345, 346, अपमानित करने के उद्देश्य से हमला करना या अपराधिक बल का प्रयोग करना 355, 356, 357, 358, जान से मारने की धमकी देना 506, 506बी, महिला छात्राओं को अपमानित करने के लिये इशारा करना, अभद्र शब्दों से सम्बोधित करना 509, रैगिंग करने वाले दोषी छात्र को तीन वर्ष के सजा तथा रूपये 25,000 का जुर्माना न्यायालय से दिया जा सकता है, इसकी जानकारी देना।
9. संस्था प्रमुख द्वारा समितियों का गठन कर निरंतर, अनुशासन का आकलन करते हुए सावधानियॉं लेना तथा रैगिंग होने ही न पावे इस हेतु सजग रहते हुए सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करना।
10. उपरोक्त कमांक 01 से 06 तक दण्ड संबंधित संस्था प्राधिकारी द्वारा दिये जा सकेगें तथा कमांक 07 से 08 की सजा विधि न्यायालय द्वारा दी जा सकेगी।

विभागाध्यक्षों के दायित्व

1. रैगिंग रोकथाम संबधी सूचना विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के निकट स्थायी बोर्ड पर रखना तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना।
2. प्रत्येक रैगिंग की घटना की रिपोर्ट लेना तथा प्रत्येक रिपोर्ट पर न्यायसंगत कार्यवाही कर जीरो टालरेंस नीति का पालन करना, घटना स्थल पर पहुंच कर त्वरित कार्यवाही करना।
3. कुलपति / विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अपराध के अनुरुप दण्ड सुनिश्चित कर सकेंगे।
4. प्रवेश के समय ही वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्र / छात्राओं का परिचय तथा स्वागत का आयोजन कर रैगिंग के संबंध में सूचित करना / तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्र / छात्राओं के बीच आपसी सामंजस्य बनाना।
5. जॉच के साथ ही रैगिंग दोषी छात्र के लिये अपराध के अनुरुप दण्ड सुनिश्चित करना।
6. आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, पुलिस को सूचित करने की कार्यवाही करना।
7. नवागत एवं वरिष्ठ छात्र / छात्राओं के अभिभावकों को समय–समय पर सूचित करना।
8. प्रवेश के समय फार्म के साथ अभिभावक का एक वचन पत्र भरवाना।

•••

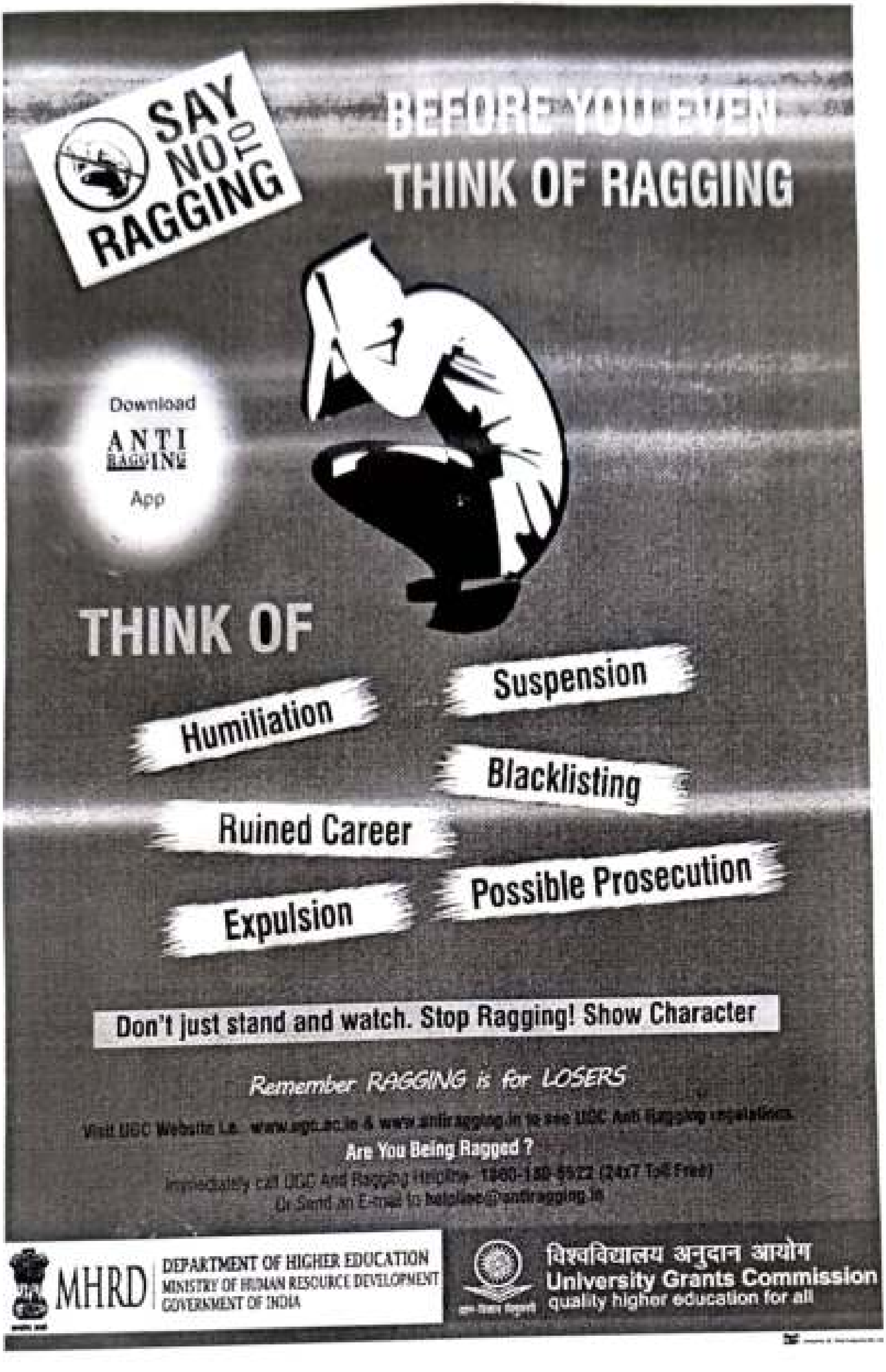
SAY NO TO RAGGING
BEFORE YOU EVEN
THINK OF RAGGING
Download
ANTI RAGGING
App
THINK OF
Suspension
Humiliation
Blacklisting
Ruined Career
Possible Prosecution
Expulsion
Don't just stand and watch. Stop Ragging! Show Character
Remember RAGGING is for LOSERS
Are You Being Ragged ?
MHRD
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

DON'T RAG,
JUST INTERACT
RAGGING
IN ANY FORM IS
PUNISHABLE
Visit UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging Regulations
Are you being ragged ?
Immediately call UGC Anti Ragging Helpline 1800-180-5522 (24X7 Toll Free)
Or send an e-mail to helpline@antiragging.in
Download
ANTI RAGGING
App
Join hands to make your campus ragging free
MHRD
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

एंटी रैगिंग के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/07/2021 को अपराह्न 2.30 बजे महाविद्यालय की समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित है। इस मीटिंग में छात्रों को एंटी रैगिंग के विषय में अवगत कराने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा। सभी रैगिंग के नये नये नियमों से अवगत होकर उपस्थित होवें जिससे इन्हें अग्रसारित करने में सरलता हो।

धन्यवाद

हितेन्द्र/10/7/21
डॉ. हितेन्द्र
(संयोजक)

आज दिनांक 10/7/2021 को मीटिंग आयोजित हुई इसमें विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई

1. छात्रों को नये-2 नियमों से अवगत करना।
2. रैगिंग के कठोर दण्डात्मक प्रक्रिया के बारे में बताना।
3. रैगिंग का महाविद्यालय में पूर्व वर्षों की तरह मुक्त होना।
4. रैगिंग मुक्त परिसर बनाना।
5. छात्रों में आपसी सद्भाव मित्रता सहयोग की भावना के विकास हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।

5. रैगिंग होने हो न पावे इस हेतु सजग रहते हुये सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करना।

6. छात्रों को रैगिंग से बचने के लिये सतर्क व जागरूक किया जाना इत्यादि विषयों पर निर्णय लिया गया।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे—

1. श्री कृष्ण वैष्णव (संयोजक)
2. डॉ हितेन्द्र (सहप्रभारी) Hitendra 10/7/2021
3. डॉ. कुलदीप शुक्ल
4. डा. ललित किशोर शर्मा
5. श्रीमती गुन्जन पाटनी Gunj Patni
6. श्री सतीश कुमार जैन

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय

सूचना

एंटी रैगिंग के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है, कि आज दिनांक 29/04/2022 को प्रातः 11:30 बजे महाविद्यालय के समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित है जिसमें आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित है।

कृष्ण 29.04.2022
श्री कृष्ण वैष्णव
(संयोजक)

आज दिनांक 29/04/2022 को महाविद्यालय के समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित की गयी जिसमें समिति के सभी सदस्यों व महाविद्यालय के अध्यापकगण के साथ चर्चा की गयी। सभी के साथ विचार विमर्श किये जाने से यह ज्ञात हुआ कि इस सत्र (2021-22) में कोई भी रैगिंग संबंधी समस्या प्राप्त नहीं हुयी।

1. श्री कृष्ण वैष्णव (संयोजक) कृष्ण
2. डॉ० हितेन्द्र hitendra
3. डॉ. कुलदेव कुमार [signature]
4. श्रीमती श्रुति जैन Shruty

[signature]
प्राचार्य
श्री ... संस्कृत महाविद्यालय
...-29 (राज.)

SESSION

2022-23

रैगिंग की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश

शैक्षणिक संस्थाओं में अकादमिक गुणवत्ता में निरन्तरता एवं अभिवृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि अकादमिक संस्थाओं का वातावरण भय एवं तनाव मुक्त रहे। शैक्षणिक संस्था प्रमुख, कुलपति, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य परस्पर सहयोग और समन्वय से ही शैक्षणिक संस्थायें अपने–अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में अवांछनीय तत्वों द्वारा कभी–कभी रैगिंग द्वारा अनावश्यक व्यवधान निर्मित कर दिया जाता है। जिससे वातावरण प्रभावित होता है। रैगिंग के द्वारा कहीं भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो इसलिए पहले से ही रैगिंग जैसी अमानवीय प्रकिया को समाप्त करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जो आदेश एवं निर्देश दिए गये हैं, उनसे हम सभी को अवगत होना आवश्यक है।

शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने की दिशा में उठाये गये कदम

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 23.10.1999 तथा 26 जून 2000 द्वारा रैगिंग को रोकने के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिए गये थे :–

1. छात्रावासों से अनाधिकृत छात्रों का निष्कासन।
2. लगातार दो वर्षों से अनुर्तीण होने वाले छात्रों का प्रवेश निषेध।
3. शैक्षणिक सत्र शुरु होते ही प्राचार्य, अभिभावक एवं शिक्षक समिति का गठन एवं उनके कार्यों का निरन्तर आकस्मिक निरीक्षण।
4. शिक्षण सत्र शुरु होने से पूर्व ही जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक से प्राचार्यों का तालमेल एवं मानीटरिंग।
5. शिथिलता बरतने वाले प्राचार्यों पर कार्यवाही।
6. ऐन्टी रैगिंग कमेटी का गठन एवं रैगिंग प्रकरणों की नियमित मानीटरिंग।
7. वार्डनों/छात्रावास अधीक्षकों की रैगिंग के संबंध में जिम्मेदारी

सुनिश्चित करना।

8. रैगिंग प्रकरणों की निष्पक्ष जॉच हेतु स्वतंत्र लोगों की कमेटी का गठन।
9. संस्था के परिसर में सहजगोचर स्थान पर शिकायत पेटी की व्यवस्था तथा प्राप्त शिकायतों की नियिमित समीक्षा।

रैगिंग दंडनीय अपराध
सर्वोच्च न्यायालय के बंधनकारी निर्देश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका 656/1998 दिनांक 4 मई 2001, SLP No. : 24295/2006 दिनांक 16 मई 2007, सिविल अपील नं. 887/2009 दिनांक 8 मई 2009 का निराकरण करते हुये रैगिंग की रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करते हुये शिक्षण संस्थाओं पर प्रमुख रुप से रैगिंग पर रोक लगाने की जवाबदारी निश्चित की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखने योग्य बातें निम्नानुसार हैं:–

1. रैगिंग रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं में मदद करने वालों को प्रोत्साहन तथा इसकी रोकथाम में मदद न करने वालों को हतोत्साहित करने के लिये शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवश्यक कदम उठाने होंगे।
2. शिक्षण संस्थाओं में संलग्न दोषी अधिकारी और व्यक्तियों को प्रचलित अपराध संबंधी कानूनों से संस्थाओं द्वारा बचाने का प्रयत्न नहीं किया जावेगा।
3. रैगिंग जैसी दुष्प्रवृत्ति को संस्था में कार्यरत व्यक्तियों, शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों तथा सम्पूर्ण समाज द्वारा मानवीय मूल्यों की अवमानना के रुप में देखा जाना चाहिए। पाठशाला के स्तर से ही विद्यार्थियों का इस तरह का मानस बनाने की आवश्यकता है।
4. ऐसे विद्यार्थी जो रैगिंग करने की मानसिकता वाले हैं, उनकी व्यवहार और स्वभाव के आधार पर पहचान की जावे।
5. रैगिंग रोकने लिए ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे उसकी पुनरावृत्ति पर अंकुश लगे।

6. रैगिंग रोकने के लिए पाठशाला से उच्च शिक्षण संस्था के स्तर तक सभी संबंधित व्यक्तियों, जिला स्तर के अधिकारियों, विश्वविद्यालयों, राज्य और केन्द्रीय शासन के सभी संबंधित अधिकारियों और समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है ताकि प्रभावी रुप से उस पर अंकुश लगे।

7. रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए मीडिया और समाज की सहभागिता प्राप्त की जानी चाहिए।

सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ |
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ||

Fight for the sake of duty, treating alike happiness
and distress, loss and gain, victory and defeat.
fulfilling your responsibility in this way, you will never incur sin

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
E-mail: secy.ugc@nic.in

सं०अ०नि०सं० 3-2/2021 (ए.आर.सी) 27 OCT 2021 अक्तूबर, 2021

SPEED POST

विषय: विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया।

प्रिय महोदया/महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए विनियम, 2009" में अधिसूचित किया है जिसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता/अभिभावक को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में www.antiragging.in और www.amanmovement.org में से किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन वचन पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया को सहज करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

संशोधित प्रक्रिया निम्नवत है,

चरण 1: विद्यार्थी अपना विवरण पूर्ववत (www.antiragging.in और www.amanmovement.org) वेबसाइट पर जमा करेंगे और पढ़कर इसकी पुष्टि करेंगे कि वे और उनके माता-पिता/अभिभावकों ने रैगिंग को रोकने के लिए विनियम को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है, वे इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि वे किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। (चरण 1 पहले जैसा ही है)।

चरण 2: विद्यार्थी को उसकी पंजीकरण संख्या और एक वेब लिंक के लिए एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल पर लिंक अग्रेषित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था)।

चरण 3: विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के नोडल अधिकारी उन विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने महाविद्यालय में रैगिंग रोधी शपथ पत्र/वचन पत्र जमा किए हैं, अपने महाविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी से प्राप्त किसी भी अग्रेषित ईमेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सूची हर 24 घंटे में अद्यतन की जाएगी।

जारी.../-

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों [illegible] अनुसार अपनी विवरणिका/ महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में [illegible] अनिवार्य [illegible] करें।

रैगिंग रोधी उपाय की संदर्भ संख्या।

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपने विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के रैगिंग रोधी नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क हेतु टेलीफोन नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास, और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें ताकि विद्यार्थियों में ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रवेश-पुस्तिका/विवरणिका आदि की प्रिन्ट/हार्ड कॉपी के बजाए उनकी सॉफ्ट कॉपी तथा साथ ही रैगिंग सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु ई-लिफलेट भी प्रकाशित की जाए।

सादर,

भवदीय,

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य

प्रतिलिपि:

1. सभी उच्चतर शिक्षा नियामक निकाय (संलग्न सूची के अनुसार)।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सुश्री अमनदीप कौर, अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, कमरा नंबर 221, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
4. डॉ० दीक्षा राजपूत, उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (यूजीसी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।
5. प्रो० राज काचरू, 689, सेक्टर-23, गुड़गांव, हरियाणा-122 017 इसे दोनों वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए: (1) वेबसाइट: www.antiragging.in (2) www.amanmovement.org

(डॉ० अर्चना ठाकुर)
संयुक्त सचिव

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1-15/2009 (एआरसी) भाग-III

30 DEC 2021 23 दिसंबर, 2021

आदरणीय महोदय/महोदया,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियम, 2009" अधिसूचित किया है, जो देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू है। ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिफारिशें और कार्रवाई योग्य बिन्दु, जिन्हें आपके विश्वविद्यालय तथा संबद्ध/सहयुक्त सभी संस्थानों में लागू करने की आवश्यकता है, निम्नवत् हैं:-

क) **बुनियादी उपाय:-**

1. रैगिंग रोधी समिति तथा रैगिंग रोधी दस्ते का गठन एवं रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना कर विभिन्न मीडिया के माध्यमों से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।
2. संस्था की विवरणिका एवं सूचना पुस्तिकाओं में रैगिंग रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए।
3. विद्यार्थियों के सूचनार्थ और मार्गदर्शन के लिए प्रकाशित नामांकन-विवरणिकाओं, सूचना-पुस्तिकाओं, पत्रकों इत्यादि के कागजी प्रति के बजाय उनकी सॉफ्ट प्रतियाँ प्रकाशित की जाए तथा उनमें रैगिंग रोधी निर्देशों के साथ-साथ इस संबंध में समुचित मार्गदर्शन को भी समाहित किए जाएँ।
4. रैगिंग रोधी समिति तथा इसके नोडल अधिकारियों के पूरे पते और उनके संपर्क विवरण के साथ संस्थानों की वेबसाइटों को अद्यतन किया जाए।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और इसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता द्वारा एक ऑनलाइन संकल्प पत्र जमा कराया जाए।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 जून, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल करके रैगिंग की परिभाषा का विस्तार किया गया है:-
"3. (i) *रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, नृजातीयता, लिंग (ट्रांसजेंडर सहित), सेक्सुअल ओरिएंटेशन, भेष, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी छात्र (नए या अन्यथा) पर लक्षित या शारीरिक या मानसिक शोषण (दादागिरी और बहिष्करण सहित) का कोई भी कृत्य।"*
7. महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाना।

ख) **परामर्श तथा निगरानी के उपाय:-**

1. विद्यार्थियों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और परेशानी करने वाले कारकों की पहचान की जा सकती है।
2. छात्रावासों, विद्यार्थियों के आवास, कैंटीन, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्षों, शौचालयों, बस-स्टैंड इत्यादि का औचक निरीक्षण और कोई भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने/ लगाम लगाने और अनुचित व्यवहार/घटना को रोकने में प्रभावी हैं, किए जाएँ।

ग) **रैगिंग मुक्त परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसार:-**

1. रैगिंग रोधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और इस विचार को फैलाने के लिए कोई भी अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को किया जाना चाहिए।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा एवं संरक्षा ऐप्स को रचनात्मक रूप से प्रयोग में लाया जाए।

घ) **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किए गए अन्य उपायों का उपयोग करना:-**

1. रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण संकट में फंसे विद्यार्थी राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 (24x7 टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग रोधी वेबसाइट **helpline@antiragging.in** पर ई-मेल कर सकते हैं।
2. रैगिंग के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट **www.ugc.ac.in** एवं **www.antiragging.in** पर जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निगरानी एजेंसी अमन सत्य काचरू ट्रस्ट से मोबाइल नंबर 09871170303, 09818400116 पर (केवल आपात स्थिति में) संपर्क करें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न माध्यमों से रैगिंग रोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और आयोग ने रैगिंग रोधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संसाधन विकसित किए हैं जो आयोग की वेबसाइट **www.ugc.ac.in** पर उपलब्ध हैं।
   (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता-पिता, पीड़ित और रैगिंग के दोषियों के परिप्रेक्ष्य से 30 सेकंड के अलग-अलग 05 टी.वी.सी विकसित किया हैं।
   (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर बनाकर विश्वविद्यालयों/विनियामक प्राधिकरणों/परिषदों/आईआईटी/एनआईटी/अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच वितरित किया हैं।
   (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों/शिक्षकों/आम जनता के लिए 02 रैगिंग रोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का उल्लंघन या इन विनियमों के अनुसार रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में संस्थान की विफलता या रैगिंग की घटनाओं के दोषियों को उपयुक्त रूप से दण्डित करने में विफलता की स्थिति में उनके विरूद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्र सं. 3-2/2021 (एआरसी) दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के अनुसार विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दायर करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें और अपनी वेबसाइट और परिसर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास में अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के रैगिंग रोधी के नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क नंबर प्रदर्शित करें। विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और आपके विश्वविद्यालय से संबद्ध/सहयुक्त सभी महाविद्यालयों को इसका पालन करने के लिए निर्देश देने की कृपा करें ।

सादर,

भवदीय,

रजनीश

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।

Anti Ragging Helpline

1800-180-5522 OR 15522

Email: helpline@antiragging.in

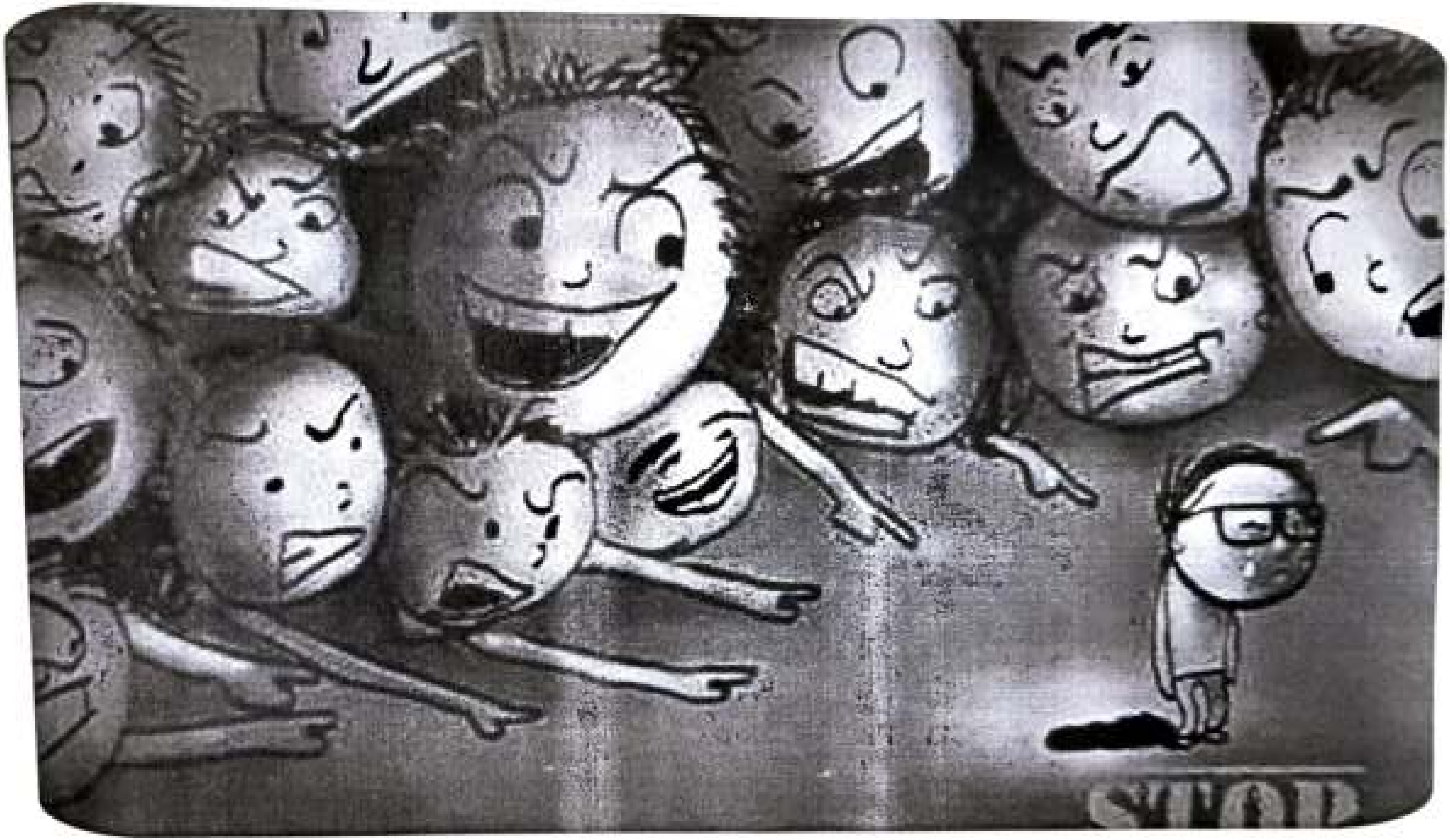
STOP

SAY NO TO
RAGGING
GOODBYE RAGGIN
Anti
ragging
Ragging is a crime
condemned by the nation.

RAGGING IS
A HEINOUS
CRIME
Your fun games is someone's pain
dose not break
the ICE, It break
lives careers &
families
SAY NO TO
RAGGING
ANTI

सूचना

एंटी रैगिंग समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 11.07.2022 को प्रात: 11:30 बजे से महाविद्यालय के समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित की जाएगी। आप सभी सदस्य गणों की उपस्थिति अपेक्षित है।

डॉ अनिल जैन
(प्राचार्य)

डॉ हितेंद्र जैन
(संयोजक)

प्रतिवेदन

आज दिनांक 11/07/22 को महाविद्यालय के समिति कक्ष में एंटी रैगिंग संबंधी मीटिंग आयोजित की गई जिसमें विचारणीय निम्न बिंदु रहे -

1.छात्रों को रैगिंग से बचने के लिए आवश्यक जागरूक किया जाना।

2.रैगिंग संबंधी नियमों से छात्रों को अवगत कराना ।

3.रैगिंग की कठोर दंडात्मक प्रक्रिया के बारे में छात्रों बताना ।

4.हेल्पलाइन नंबर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना ।

5.महाविद्यालय परिसर में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे का लगवाना।

उपर्युक्त बिंदुओं पर विचार किया गया तथा सभी को क्रियान्वित करने हेतु प्राचार्य जी को अवगत कराया गया।

1. डॉ. कृष्णदेव शुक्ल 2. डॉ. श्रुति पारीक Shruti Pareek
3. डॉ. हितेन्द्र (hitendra)

hitendra
11/7/2022

डॉ अनिल जैन
प्राचार्य
श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियाँ रोड

डॉ हितेंद्र जैन
(संयोजक)

सूचना

एंटी रैगिंग समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 25/04/23 को समय 2:30 बजे से महाविद्यालय में मीटिंग आयोजित होगी ।आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी उपस्थिति अनिवार्य है ।

25/04/23

डॉ अनिल जैन

प्राचार्य

हेमन्तकुमारजैन

(संयोजक)

प्रतिवेदन

महाविद्यालय के समिति कक्ष में आज दिनांक 25/04/23 को मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया,तथा विस्तृत वार्तालाप के पश्चात यह ज्ञात हुआ की सत्र 2022-23 में महाविद्यालय में कोई भी रैगिंग संबंधित शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

मीटिंग में निम्न सदस्य उपस्थित रहे

1.हेमन्त कुमार जैन

2.कृष्णदेव शुक्ल

3.डॉ अनिल जैन

4.डॉ हितेंद्र जैन

5. डा. श्रुति पारीक

25/04/23

डॉ अनिल जैन

प्राचार्य

श्री दिगम्बर जैन आदर्श संस्कृत महाविद्यालय

हेमन्तकुमारजैन

(संयोजक)

SESSION

2023-24

प्रो. मनीष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

भारत 2023 INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

अ०शा० पत्र सं० 1-15/2009 (एआरसी) भाग. III

25 मई, 2023/04 ज्येष्ठ, 1945

आदरणीय महोदय/महोदया,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर विनियम, 2009" अधिसूचित किया है। सभी विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं। ये विनियम देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य हैं।

चूंकि रैगिंगरोधी परिसर सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों की आवश्यकता होती है, यहां कुछ सिफारिशें और कार्रवाई के लिए कुछ क्रिया-कलाप अनुसूचित किये गए है जिन्हें आपके प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और आपके क्षेत्र में आने वाले सभी संस्थानों में लागू करने की आवश्यकता है।

—) बुनियादी उपाय:

1. रैगिंगरोधी समिति का गठन, रैगिंगरोधी दस्ते का गठन, रैगिंगरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना कर विभिन्न माध्यमों से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।
2. संस्थान की विवरणिका और सूचना पुस्तिकाओं ।
3. अपने संस्थानों के मुद्रण (हार्ड कॉपी) के स्थान पर प्रवेशित विद्यार्थियों को रैगिंग के मामले में मार्गदर्शन पर विवरण देने वाली ई-प्रवेश पुस्तिका या ई-पत्रक (ब्रोशर) बनाने की व्यवस्था करना।
4. रैगिंगरोधी समिति से संबंधित नोडल अधिकारियों के पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ संस्थानों की वेबसाइटों को अद्यतन किया जाए।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और द्वितीय संशोधन के अनुपालन में तथा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता द्वारा संकल्प- पत्र जमा कराया जाए।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 जून, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में रैगिंग की परिभाषा का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है:

'3 (ञ) किसी भी छात्र को (नवीन या अन्य) लक्षित करके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जातिमूल, लिंग (उभयलैंगिक सहित) लैंगिक प्रवृति, बाहय स्वरूप, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषा वैशिष्ट्य, जन्म, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना (दबंगई एवं बहिष्करण) का कृत्य।'

7. महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना।

ख) परामर्श और निगरानी के उपाय:

1. विद्यार्थियों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरूआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और उपद्रव करने वाले कारकों की पहचान की जा सकती है।
2. छात्रावासों, विद्यार्थियों के आवास, कैंटीनों, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्षों, शौचालयों, बस-स्टैंडों और किसी भी अन्य उपाय का औचक निरीक्षण, जो रैगिंग और किसी भी अवांछित व्यवहार/घटना को रोकने/निवारण करने में सहायक होगा।

ग) रैगिंगरोधी परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसार:

1. इस विचार को प्रसारित करने के लिए रैगिंगरोधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और अन्य रचनात्मक मार्गों जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा और सुरक्षा ऐप्स को रचनात्मक रूप से तैनात किया जा सकता है।

घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्य उपायों के उपयोग की शुरूआत:

1. रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण परेशान विद्यार्थी राष्ट्रीय रैगिंगरोधी हेल्पलाइन न० 1800-180-5522 (24x7 टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंगरोधी हेल्पलाइन help@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

2. रैगिंग के बारे में किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in और www.antiragging.in देखें।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न तरीकों से रैगिंगरोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं विकसित की हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं:

क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता-पिता, पीड़ित और रैगिंग के दोषी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में 30-30 सेकंड के 05 टीवीसी को अलग-अलग दृष्टिकोण से विकसित किया है।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्य प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालयों/नियामक प्राधिकरणों/परिषदों/आईआईटी/एनआईटी एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच पोस्टर डिजाइन और वितरित किए हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)।

ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के खतरे के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए विद्यार्थियों/संकाय/आम जनता के लिए लगातार 02 रैगिंगरोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

आपसे अनुरोध है कि इन चरणों का अनुसरण करें और "भारत के चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के मनोसामाजिक अध्ययन" पर समिति की सिफारिशों को लागू करें जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंगरोधी शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें। विद्यार्थी को अपनी पंजीकरण संख्या के साथ एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी उस ई-मेल को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के ई-मेल में नोडल अधिकारी को

अग्रेषित करेंगे । (कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ हलफनामा प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है.

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अपनी वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों, विभाग, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास और सामान्य सुविधाओं आदि पर अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की रैगिंगरोधी समिति के नोडल अधिकारी के ई-मेल पते और संपर्क संख्या को प्रदर्शित करना होगा।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के प्रवेश फॉर्म में अनिवार्य कॉलम समाविष्ट करें:

रैगिंगरोधी संदर्भ संख्या:	

विश्वविद्यालयों से भी अनुरोध है कि वे www.antiragging.in पर ऑनलाइन अनुपालना भरें तथा अपने दायरे में आने वाले सभी महाविद्यालयों को इसका पालन करने के लिए तत्काल निर्देश दें।

सादर,

भवदीय

(मनिष जोशी)

सभी विश्वविद्यालयों
सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य
संलग्नक:यथोपरि

RAGGING
IS A CRIMINAL OFFENCE
Dont "RAG"
Also don't be a mute witness to
Ragging
Anti Ragging & Student Safety

Anti Ragging Helpline

1800-180-5522 OR 15222

Email: helpline@antiragging.in

परोपकाराय सतां विभूतयः

The wealth of the good people are for helping others.

सज्जनों की समृद्धि दूसरों की भलाई के लिए होती है।

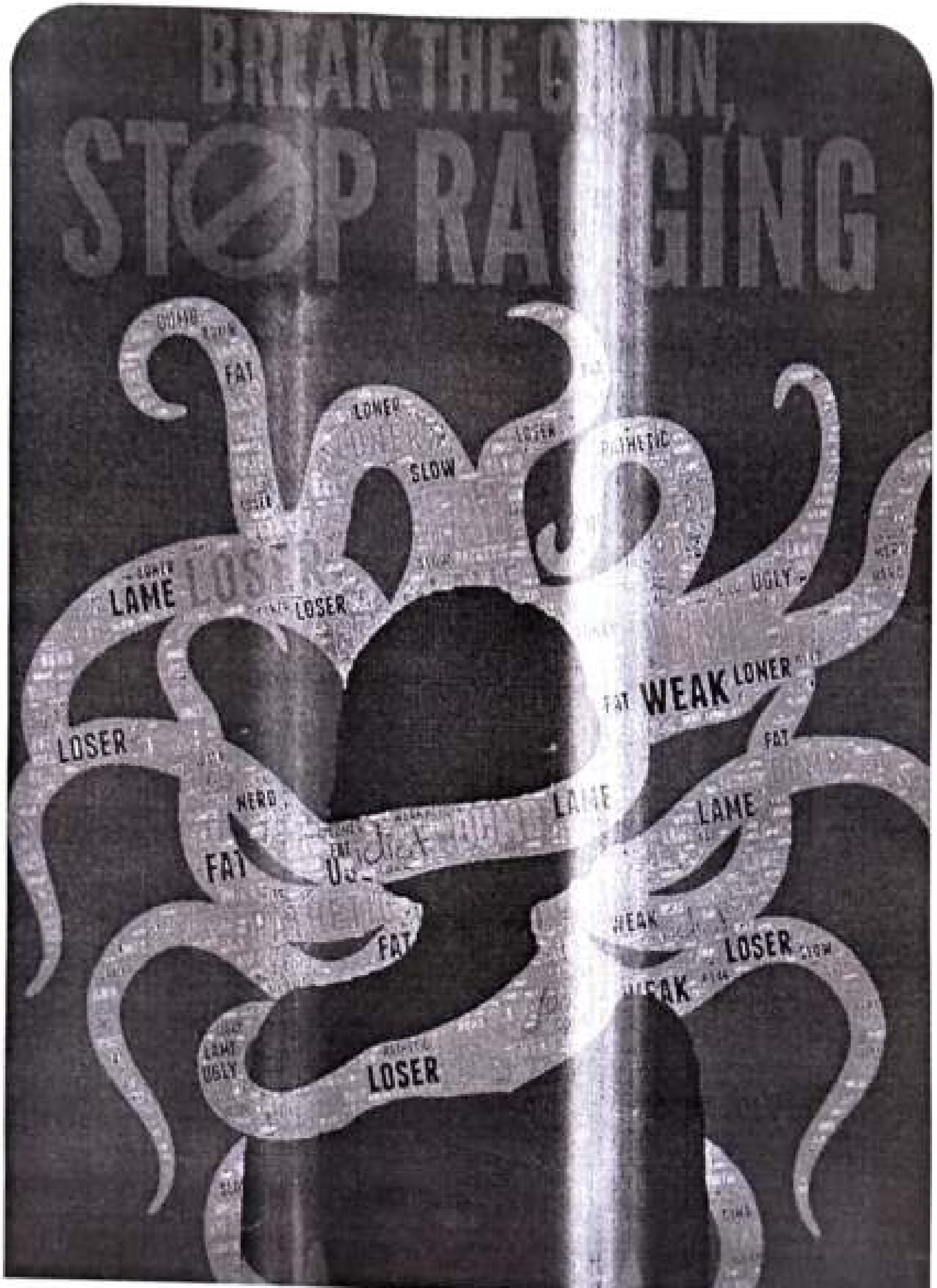

FAT
LONER
SLOW
PATHETIC
LAME
LOSER
UGLY
WEAK
NERD

दैनिक भास्कर

जयपुर फ्रंट पेज

सोमवार 29 अप्रैल, 2024

जबकि, जुलाई से सितंबर तक इस सवारी का समय सुबह 7 से 11 बजे तक रहेगा। मालूम हो कि तेज गर्मी की वजह से ना केवल पर्यटक बल्कि हाथी भी परेशान रहते हैं और कई बार आक्रामक हो जाते हैं। इसी को देखते हुए हाथी सवारी के समय में बदलाव किया जाता है।

राजधानी में दिन में छाए रहे बादल, दिन का पारा सामान्य से 1.9° कम

जयपुर | राजधानी जयपुर में रविवार को दिन में अधिक रूप से बादल छाए रहे। इस कारण मौसम सामान्य रहा। बादलों के कारण धूप में तेजी नहीं रही। इससे गर्मी से राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह दिन के सामान्य तापमान से 1.9 डिग्री कम रहा। इसी तरह से रात का पारा 0.2 डिग्री की गिरावट के साथ 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह रात के सामान्य तापमान से 1.0 डिग्री अधिक रहा। हालांकि शनिवार के मुकाबले तापमान में अधिक अंतर नहीं आया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी में आकाश साफ रहेगा। अधिकतम व न्यूनतम तापमान भी 38 और 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

सख्ती : यूजीसी सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिव को कमेटी गठन के लिए लिखा पत्र

उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए अब जिला स्तर पर बनेगी 'एंटी रैगिंग कमेटी'

भास्कर न्यूज | जयपुर

देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए यूजीसी ने एक नई पहल की है। इसके तहत कॉलेजों में अब जिला स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करना होगा। जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। विश्वविद्यालय या कॉलेज के प्रमुख, पुलिस अधीक्षक या जिले के एसएसपी को सदस्य होना चाहिए। अपर जिलाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। घटनाओं पर निगरानी करने के लिए समिति में स्थानीय मीडिया, जिला-स्तरीय एनजीओ, छात्र संगठन, स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ संस्थागत अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। यूजीसी के सचिव प्रो.मनीष .आर. जोशी ने राजस्थान समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिव को जिला स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी गठित करने के लिए पत्र लिखा है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में नियम बनाए हैं

यूजीसी के अनुसार रैगिंग एक अपराध है। रैगिंग को रोकने, खत्म करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में नियम बनाए हैं। संस्थानों को मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के साथ ही उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहता है या इन विनियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है या रैगिंग की घटनाओं के अपराधियों को उचित रूप से दंडित करने में विफल रहता है, तो संस्थान रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए यूजीसी विनियम-2009 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

एसीबी की प्लानि

दूदू कले तैयारी 7

प्रधान रिपोर्टर | जयपु

एसीबी की दूदू कलेक्टर की कार्रवाई से पहले ही 15 की सूचना लीक हो गई, कलेक्टर हनुमान मल ढाका पटवारी हंसराज मालाकार 26 अप्रैल को दूदू में कार्रवाई बाद एसीबी ने दोनों के घ की कार्रवाई नहीं की। अब एसीबी ट्रैप की कार्रवाई आरोपी की मान-अपमान जांच करती है

जयपुर फ्रंट पेज

ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में भास्कर का एक और खुलासा;

नियम; ट्रांसप्लांट के लिए 3 कमेटियां जरूरी मगर राजस्थान ने मर्ज कर 2 बना दीं, नतीजा- बिना सहमति के 190 से अधिक ट्रांसप्लांट हो गए

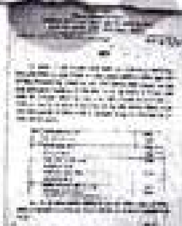

उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए अब जिला स्तर पर बनेगी 'एंटी रैगिंग कमेटी'

दूदू कलेक्टर व पटवारी को ट्रैप की तैयारी 7 दिन पहले ही हो गई थी लीक

सूचना

एंटी रैगिंग समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय रैगिंग मुक्त परिसर हो इस हेतु विचार विमर्श के लिए आज दिनांक 10.08.2023 को अपराह्न 3:00 बजे आई.क्यू.ए.सी. के तत्वाधान में महाविद्यालय के समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित है अतः आप सभी उपस्थित होने का कष्ट करें।

डॉ अनिल कुमार जैन
(प्राचार्य)

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-29 (राज.)

10.08.2023
पी.एल.योगी
(संयोजक)

प्रतिवेदन

महाविद्यालय रैगिंग मुक्त हो इस हेतु आई.क्यू.ए. सी. के तत्वाधान में आज दिनांक 10.08.2023 को महाविद्यालय के समिति कक्ष मे मीटिंग आयोजित की गई जिसमें सभी सदस्यों के बीच निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई-

1. महाविद्यालय को रैगिंग मुक्त परिसर बनाना।
2. छात्रों को रैगिंग संबंधी नियमों से अवगत करना।
3. रैगिंग के कठोर दंडात्मक प्रक्रिया के बारे में छात्रों को अवगत कराना।
4. छात्रों में आपसी सद्भाव, मित्रता व सहयोग की भावना विकसित करना।
5. रैगिंग न हो इस हेतु छात्रों, पालकों तथा शिक्षकों को अवगत कराना।
6. प्रवेश के समय एंटी रैगिंग अभियान चलाना।
7. नये प्रवेशियों का मार्गदर्शन सुनिश्चित करना।
8. नव प्रवेशियों को विश्वास में लेकर निर्भय करना।
9. रैगिंग रोकथाम संबंधी सूचना महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के निकट स्थाई बोर्ड पर लगाना।
10. महाविद्यालय में रैगिंग होने ही ना पावे इस हेतु सजग रहते हुए अनुशासनपूर्ण सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करना।
11. रैगिंग से बचने के लिए छात्रों को सतर्क व जागरूक करना।
12. हेल्पलाइन नंबर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।

निम्न सदस्य गण उपस्थित रहे -

1. डॉ अनिल कुमार जैन
2. डॉ. कृष्णदेव शुक्ल
3. डॉ हितेंद्र
4. डॉ ज्योति शर्मा 10-8-2023
5 पी.एल.योगी 10.08.2023
6. हेमंत कुमार जैन
7. डॉ श्रुति पारीक

10.08.2023
पी.एल.योगी
(संयोजक)

डॉ अनिल कुमार जैन
(प्राचार्य)

प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-29 (राज.)

सूचना

एंटी रैगिंग समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 25.04.2024 को प्रातः 11:30 बजे आई.क्यू.ए.सी. के तत्वावधान में महाविद्यालय के समिति कक्ष में मीटिंग आयोजित है अतः आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित है।

डॉ अनिल कुमार जैन
प्राचार्य
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियां रोड, सांगानेर, जयपुर-29 (राज.)
(प्राचार्य)

25.04.2024
पी.एल.योगी
(संयोजक)

प्रतिवेदन

आज दिनांक 25.04.2024 कोआई.क्यू.ए.सी. के तत्वाधान में महाविद्यालय के समिति कक्ष में रैगिंग संबंधी मीटिंग आयोजित की गई जिसमें सभी सदस्यों व शिक्षकों के बीच विस्तृत वार्तालाप के पश्चात ज्ञात हुआ कि इस सत्र (2023-24) में महाविद्यालय में रैगिंग संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

निम्न सदस्य व शिक्षक गण उपस्थित रहे-

1.डॉ. हितेंद्र

2.डॉ. कृष्णदेव शुक्ल

3.पी.एल.योगी 25/04/2024

4.अनिल जैन

5.डॉ.ज्योति शर्मा 25-4-2024

6.कविना सिंह Kavina Singh 25/04/24

7.हेमन्त कुमार जैन

8. डॉ श्रुति पारीक

25.04.2024

पी.एल.योगी

(संयोजक)

डॉ अनिल कुमार जैन

(प्राचार्य)

प्राचार्य

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय

जैन नसियां ... (राज.)